मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 845/2017/एफ/म.ब.वि भोपाल दिनांक 18/8/17

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–समस्त,
मध्यप्रदेश

विषय :– किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं निरीक्षण समिति के निरीक्षण दौरे के संबंध में।

संदर्भ :– शासन आदेश 1347 दिनांक 16.06.2016, संचा. का पत्र क्रमांक 585 दिनांक 17.06.2016 एवं 561 दिनांक 20.06.2017।

किशोर न्याय किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 8 में किशोर न्याय बोर्ड, धारा 30 में बाल कल्याण समिति एवं धारा 54 में निरीक्षण समिति को बाल देखरेख संस्थाओं में बालकों की आवसीय सुविधाओं का निरीक्षण दौरा किये जाने का निम्नानुसार प्रावधान दिया गया है :–

(अ) धारा 8– किशोर न्याय बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की आवासीय सुविधाओं का प्रत्येक मास कम से कम एक निरीक्षण दौरा करेगा और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए सिफारिश करेगा।

(ब) धारा 30– बाल कल्याण समिति देखरेख और संरक्षण के लिए जरूतमंद बालकों की आवासीय सुविधाओं का प्रत्येक मास में कम से कम दो बार निरीक्षण दौरा करेगी और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए सिफारिश करेगी।

(स) धारा 54– तीन सदस्यों से अन्यून दल तीन मास में कम से कम एक बार बालकों को रखने वाली सुविधा तंत्रों का आज्ञपक रूप से निरीक्षण करेगी और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए सिफारिश करेगी।

2/ मान. सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित यचिका W.P. 102/2007 Re: Exploitation of Children in Orphanages in the State of Tamil Nadu versus Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 05 मई 2017 मान. न्यायालय द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति

एवं धारा 54 के तहत् गठित समितियों द्वारा जिले में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं के निरीक्षण दौरे एवं सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए की गई सिफारिश की जानकारी चाही है।

3/ निर्देशित किया जाता है कि मान. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड, समिति एवं निरीक्षण समिति द्वारा बाल देखरेख संस्थाओं के किये गये निरीक्षण दौरों एवं सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए की गई सिफारिश के निरीक्षण प्रतिवेदन तत्काल आयुक्त महिला सशक्तिकरण को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(जे.एन.कांसोटिया)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ.क्रमांक 841/2017/म.ब.वि भोपाल दिनांक 18/8/17

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, संचालनालय महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश।
2. संभागीय आयुक्त संभाग समस्त मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक/संभागीय उपसंचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग संभाग समस्त मध्यप्रदेश।
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी जिला समस्त मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग